



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125719

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5664 वर्ष 2026

हेमेंद्र सिंह उर्फ हेमेंद्रपाल

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : अमित कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आज न्यायालय में शिकायतकर्ता/प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया गया।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री उमेश सिंह की दलीलें सुनी गईं; उन्होंने आज न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल करके शिकायतकर्ता/प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की ओर से पेश होने की सूचना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दी, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है। साथ ही, राज्य की ओर से ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड देखा गया।

3. यह आपराधिक अपील एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत अपीलकर्ता-हेमेंद्र सिंह उर्फ हेमेंद्रपाल द्वारा दायर की गई है। इसमें विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अधिनियम, बिजनौर द्वारा जमानत अर्जी संख्या 1079/2026 (हेमेंद्र सिंह उर्फ हेमेंद्रपाल बनाम यू.पी. सरकार) में 7 मई, 2026 को पारित जमानत नामंजूरी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला मुकदमा अपराध संख्या 40/2026 से संबंधित है, जो आई.पी.सी. की धाराओं 406, 467, 468, 471, 504, 506 और एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)5ए के तहत थाना-मनवार, जिला-बिजनौर में दर्ज है। साथ ही, अपीलकर्ता को उक्त मामले में जमानत पर रिहा करने की भी मांग की गई है।

4. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह ने संबंधित पुलिस स्टेशन में एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता, जो श्री जगवीर सिंह के बेटे हैं और गाँव गोपालपुर (पुलिस स्टेशन मंडावर, तहसील और जिला बिजनौर) के रहने वाले हैं, अनुसूचित जाति (चमार) समुदाय से हैं। उसी गाँव के रहने वाले हेमेंद्र पाल (इस मामले में अपीलकर्ता), जो श्री कन्हैया सिंह पाल के बेटे हैं (मोबाइल संख्या 8958854081), एक चालाक और धोखेबाज़ व्यक्ति हैं। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके बहलाया-फुसलाया। अपीलकर्ता ने कहा कि उसका एक करीबी दोस्त सचिन कुमार है (अमर सिंह का बेटा, जो गाँव विशनपुरा, नूरपुर, जिला बिजनौर का रहने वाला है), जो ऐसी नौकरी दिला सकता है। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता की मुलाकात सचिन कुमार से कराई। अपीलकर्ता और सचिन कुमार ने शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया कि वे उसे सरकारी नौकरी दिला देंगे। उनके अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भरोसे पर यकीन करके शिकायतकर्ता मान गया। अपीलकर्ता और सचिन कुमार ने शिकायतकर्ता को बताया कि नौकरी के लिए 22,00,000 रुपये की ज़रूरत होगी। शिकायतकर्ता ने उनके भरोसे पर यकीन करते हुए हमी भरी और उन्हें पैसे दे दिए। शिकायतकर्ता ने 13 लाख रुपये नकद और 11,27,500 रुपये ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के ज़रिए दिए, यानी उसने अपीलकर्ता और सचिन कुमार को कुल 24,27,500 रुपये दिए। अपीलकर्ता ने अपनी खेती की ज़मीन बेचकर यह रकम जुटाई थी। अपीलकर्ता ने इस लेन-देन की पूरी ज़िम्मेदारी ली और शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया कि अगर नौकरी नहीं मिली, तो वह पूरी रकम वापस करवा देगा। पेमेंट किए हुए तीन साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। पूरी रकम लेने के बाद, आरोपियों ने शिकायतकर्ता को एक फ़र्जी जॉइनिंग लेटर और जाली पहचान पत्र दिया। अपीलकर्ता और सचिन ने अलग-अलग बहाने बनाकर शिकायतकर्ता को बार-बार लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और मुरादाबाद जैसी जगहों पर भेजा। हालाँकि, न तो कोई नौकरी मिली और न ही शिकायतकर्ता के पैसे वापस किए गए। जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस माँगे, तो आरोपियों ने उसे गालियाँ दीं, जाति-सूचक अपमानजनक बातें कहीं और आक्रामक व झगड़ालू हो गए। अपीलकर्ता और सचिन कुमार ने शिकायतकर्ता को यह धमकी भी दी कि अगर वह पुलिस के पास गया, तो वे उसे मार डालेंगे। नतीजतन, शिकायतकर्ता बहुत परेशान और प्रताड़ित है और उसे आरोपियों से अपनी जान-माल का खतरा महसूस हो रहा है।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता की भूमिका बस इतनी थी कि उसने सचिन कुमार का परिचय शिकायतकर्ता से उसकी भलाई और नौकरी दिलाने के मकसद से कराया था; उसे यह नहीं पता था कि सचिन कुमार एक बुरा आदमी निकलेगा और न तो शिकायतकर्ता को नौकरी दिलाएगा और न ही उसके पैसे लौटाएगा। अपीलकर्ता को यह भी नहीं पता था कि सचिन कुमार एक धोखेबाज़ है जो नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ठगता था और नकली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जॉइनिंग लेटर और पहचान पत्र देता था। अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों एक ही गाँव के हैं और उनके बीच लंबे समय से पैसों का लेन-देन होता रहा है; इसलिए, एफ.आई.आर. दर्ज होने से पहले और बाद में भी अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच पैसों का लेन-देन हुआ है, जिसे शिकायतकर्ता ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार भी किया है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई कुल ₹24,27,500/- की रकम अलग-अलग बैंक खातों में जमा की गई थी, जिनसे अपीलकर्ता का कोई लेना-देना नहीं है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अब अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच समझौता हो गया है और अपीलकर्ता अब शिकायतकर्ता को पैसे वापस दिलाने की कोशिश कर रहा है।

6. ऊपर बताई गई बातों के आधार पर, अपील करने वाले के अधिवक्ता का कहना है कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे का गबन करने और नकली जॉइनिंग लेटर व पहचान पत्र दिलाने का मुख्य आरोप सचिन कुमार पर है, और अपील करने वाले पर सिर्फ यह आरोप है कि उसने शिकायत करने वाले की मुलाकात सचिन कुमार से करवाई थी। अपील करने वाला 25 मार्च, 2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

7. इसके उलट, राज्य की ओर से पेश ए.जी.ए. ने अपील और जमानत की अर्जी का विरोध किया है। हालाँकि, दूसरी पक्ष (शिकायत करने वाले) के अधिवक्ता को अपील करने वाले की जमानत पर रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है।

8. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह साफ़ है कि काउंटर एफिडेविट के पैराग्राफ संख्या 5 में शिकायतकर्ता/प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने कहा है कि शिकायतकर्ता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अपीलकर्ता लंबे समय से चले आ रहे बिजनेस और पारिवारिक रिश्तों के कारण एक-दूसरे को जानते थे, और यहाँ तक कि शिकायतकर्ता का भाई और अपीलकर्ता मिलकर बिजनेस का काम भी करते हैं। अपीलकर्ता और उसके भाई रजनीश कुमार ने कई बार शिकायतकर्ता के अकाउंट में 25,000 रुपये और कुछ अन्य रकम ट्रांसफर की है। यह भी साफ़ है कि अपीलकर्ता पर सिर्फ़ यही आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता की मुलाकात सचिन कुमार से करवाई थी; सचिन कुमार पर ही नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे हड़पने और नकली जॉइनिंग लेटर व पहचान पत्र बनवाने का मुख्य आरोप है।

9. इस वाद के तथ्यों और हालात, सबूतों की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना का संकेत देने वाली किसी ठोस सामग्री की कमी को देखते हुए, यह न्यायालय इस राय का है कि अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

10. अपीलकर्ता - **हेमेंद्र सिंह उर्फ हेमेंद्रपाल** को, ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या के मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार देने होंगे, साथ ही न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

- i) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- ii) अपीलकर्ता न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, हर तारीख पर न्यायालय में हाज़िर होगा और विचारण के निपटारे में किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) अपीलकर्ता को एक अंडरटेकिंग (लिखित वचन) देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) अपीलकर्ता ज़मानत की आज़ादी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

अगर अपीलकर्ता विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84/सीआर.पी.सी. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर अपीलकर्ता ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार बीएनएस की धारा 209/आई.पी.सी. की धारा 174-ए के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(v) अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा की शुरुआत, (2) आरोप तय करना, और (3) बीएनएसएस की धारा 251/सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय की राय में अपीलकर्ता की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है; विचारण न्यायालय उसके खिलाफ बीएनएसपी. की धारा 269/आई.पी.सी. की धारा 229-ए के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(vi) विचारण न्यायालय अपीलकर्ता की रिहाई के बाद विचारण को तेज़ी से पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश/प्रयास कर सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. संबंधित न्यायालय ज़मानतदारों की पहचान, स्टेटस और रिहायशी पते के सबूत की जांच करेगा। अगर ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो संबंधित न्यायालय के पास ज़मानत रद्द करने और अपील करने वाले को जेल भेजने का अधिकार होगा।

12. इस प्रकार, अपील सफल होती है और इसे मंजूर किया जाता है।

13. विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति. एक्ट), बिजनौर द्वारा ज़मानत अर्जी संख्या 1079/2026 (हेमेंद्र सिंह उर्फ हेमेंद्रपाल बनाम यू.पी. सरकार) में 7 मई, 2026 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है। यह मामला मुकदमा अपराध संख्या 40/2026 से जुड़ा है, जो आई.पी.सी. की धाराओं 406, 467, 468, 471, 504, 506 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति. एक्ट की धाराओं 3 (1) (द), 3 (1) (ध), 3 (2) 5ए के तहत थाना-मनवार, ज़िला-बिजनौर में दर्ज किया गया था।

5 जून, 2026

सुशील/-

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।